



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092024-256927  
CG-DL-E-05092024-256927

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3467]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2024/ भाद्र 13, 1946

No. 3467]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2024/ BHADRA 13, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

सं. 27/2024-25

**विषय:** आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत कच्चे पेट कोक और कैल्सिंड पेट कोक के लिए आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

**का.आ. 3797(अ).—** समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैराग्राफ 1-02 और 2-01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या 68/2023 दिनांक 07-03-2024 के क्रम में, केन्द्र सरकार आईटीसी (एचएस) 2022] अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 के तहत आयात नीतिगत शर्त संख्या 06 (ख) (II) में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करती है:—

शर्त संख्या	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
06 (ख) (ii)	ii. आरपीसी और सीपीसी के आयात को संबंधित विनियमों/ विधियों के तहत यथा अनुमत प्रक्रियाओं के लिए एल्यूमिनियम उद्योग की घरेलू जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।	ii. आरपीसी और सीपीसी के आयात को संबंधित विनियमों/ विधियों के तहत यथा अनुमत प्रक्रियाओं के लिए एल्यूमिनियम उद्योग और अन्य उद्योगों की घरेलू जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

**अधिसूचना का प्रभाव:** आरपीसी और सीपीसी के आयात को एल्यूमीनियम उद्योग और अन्य उद्योगों की घरेलू जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. एम-01/89/180/22/एएम-23/पीसी-2(ए)/ई-38642]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**

**(Department Of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4<sup>th</sup> September, 2024

**No. 27 /2024-25**

**Subject:** Amendment in Import Policy condition for Raw Pet Coke and Calcined Pet Coke under Chapter 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022-reg.

**S.O. 3797(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, and in continuation to the notification no. 68/2023 dated 07.03.2024, the Central Government amends the Import Policy condition no. 06(b)(ii) under Chapter 27 of the ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy) as under with immediate effect:

Condition no.	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
06(b) (ii)	ii. Import of RPC and CPC shall be permitted to cater entirely to the domestic needs of aluminium industry, for the processes as permitted under the relevant regulations / statutes.	ii. Import of RPC and CPC shall be permitted to cater entirely to the domestic needs of aluminium industry <b>and other industries</b> , for the processes as permitted under the relevant regulations / statutes.

**Effect of the notification:** Import of RPC and CPC shall be permitted to cater entirely to the domestic needs of aluminium industry **and other industries**.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/89/180/22/AM-23/PC-2(A)/E-38642]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &  
Ex-officio Addl. Secy.